letter2:letter1.qxd 9/26/2010 8:43 PM Page 132

प्रिय युवा बंधुओं और बहनों,

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से हम अनभिज्ञ नहीं थे। ढाई हजार साल पूर्व भी अपने यहां गणतंत्र के रूप में लोकतांत्रिक शासन प्रचलित था।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें अपने देश के लिए शासन-व्यवस्था का स्वयं निर्माण करना आवश्यक था। हम समयानुकूल अपनी शासन व्यवस्था स्वयं खड़ी कर सकते थे। भूतकाल में हम केवल स्वतंत्र ही नहीं थे, अपितु सर्वाधिक सभ्य राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित थे। मानव मात्र के सुखमय जीवन निर्माण करने वाली संस्कृति के हम अधिष्ठाता थे। कौटुम्बिक अवधारणा के आधार पर हमारी शासन-व्यवस्था प्रचलित थी। अपनी गतिशील सामाजिक जीवन-दृष्टि के आधार पर स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था हमें स्वयं निर्माण करनी चाहिए थी।

किन्तु स्वतंत्र हुए भारत के नेतृत्व ने अनागवींय सभ्यता के अधीन किन्तु सम्पन्न देशों में प्रचलित शासन-व्यवस्था को ''रेडिमेड'' व्यवस्था के नाते अपना लिया। दुर्भाग्य से अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करने की बुद्धि समय पर काम नहीं आई।

भारत को उद्ध सौ साल गुलाम बनाकर उसका सब प्रकार से सतत शोषण करने वाले अंग्रेजों की संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई। उसी से देश और समाज का भविष्य निर्माण करने की हम अपेक्षा कर रहे हैं।

चतुराई से भारत का विभाजन करने वाले ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ लॉर्ड माउंट बैटन को ही हमने स्वयं स्वतंत्र भारत का प्रथम 'गवर्नर जनरल' बनाया। अंग्रेजों की हुकूमत उखाड़ने के लिए फांसी के फंदों पर झूलने वाले युवा देशभक्तों की भावनाओं की यह घोर अवगानना थी।

गत 60 वर्षों में हम संसार में सबसे बड़े लोकतंत्र का डंका पीट रहे हैं। किन्तु क्या लोकतंत्र की तत्विक भी भावना हम कार्यान्वित कर रहे हैं? लोकतंत्र में समाज के सभी लोगों को स्वतंत्रता की अनुभूति होनी चाहिए। सभी नागरिक देश की उन्नति के लिए जुटने चाहिए। उन्हें अपने देश का उज्ज्वल भविष्य-निर्माण करने की चिंता होनी चाहिए। तभी वह राष्ट्र स्थाई उन्नति कर सकता है। किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, किन्तु देश के नागरिक हर बात के लिए शासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। वे स्वयं अपनी और अपने देश की उन्नति का मार्ग अपना नहीं रहे हैं। क्या इसे हम लोकतंत्र मानेंगे? जिसमें देश के नागरिक स्वावलंबी नहीं होंगे, उस देश में स्वाभिमान क्या कभी आ सकेगा? स्वाभिमान स्वावलंबन के बिना कभी भी संभव नहीं है। स्वतंत्र देश का नागरिक स्वयं स्वावलंबी हो, तभी देश की स्वतंत्रता सार्थक है। अन्यथा, स्वतंत्रता और गुलामी में कोई अंतर नहीं रह जाता।

देश में 543 निर्वाचित सांसद हैं, इनमें 321 ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं। 138 ऐसे चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, जिनमें से केवल शहरी क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होते हैं। इसका अर्थ है, सांसदों की अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। वह ग्रामीण क्षेत्र 60 साल के बाद बेकारी और भुखमरी का इलाका बन रहा है और शहर दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक गुलजार बनते जा रहे हैं। क्या यह लोकतंत्र का रूप है?

वस्तुतः स्वतंत्र भारत में सतत् एकाधिपत्य चल रहा है। देश में सभी पार्टियां एकाधिपत्य की शिकार हैं। नेहरू से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी तक सभी शासक अपनी-अपनी मनमानी चलाते रहे हैं। उनका केन्द्र हमेशा दिल्ली या प्रदेश की राजधानियां रही हैं। अतः देश का सारा ऐश्वर्य इन राजधानियों में समाता गया। प्रत्येक सांसद या शासकों की ओर देखकर

सांसदों की अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। वह ग्रामीण क्षेत्र 60 साल के बाद बेकारी और भुखमरी का इलाका बन रहा है और शहर अधिकाधिक गुलजार बनते जा रहे हैं।

अवतरण करता है। सभी सांसद दिल्ली में और विधायक शहरों में अपने निवास-स्थान बना रहे हैं। अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए वे अपनी संतान को शहरी वातावरण में पाल रहे हैं। हर एक सांसद या विधायक का लक्ष्य अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का है। उसके लिए वह विधि-निषेध का विचार नहीं करता। परिणामस्वरूप, देश में जनप्रतिनिधि स्वार्थमूलक भावना के शिकार हुए हैं। उनमें देशभक्ति की तत्विक भी चुंगाईश दिखाई नहीं देती। परिणामस्वरूप, देश में भ्रष्टाचार पनपने के अतिरिक्त उदात्त भावना का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है।

हमने पश्चिमी जीवन-प्रणाली को अपनाया है। वहां धन की ही महत्ता सर्वाधिक है। किसी के पास धन अधिक है, वह महान माना जाता है। जबकि हिन्दुस्तान की परंपरा इसके विपरीत है, हिन्दुस्तान में ऋषि-मुनि जो त्यागी-विरागी थे, लेकिन समाज-कल्याण में अग्रणी होने के कारण सर्वप्रिय होते थे। उनके सामने सत्ताधीश या धनी झुकते थे। इस कारण, समाजहित सर्वोपरि था। समाज के नागरिकों में आदर्श भिन्न था। इस कारण, हिन्दुस्तान की सभ्यता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी।

स्वतंत्र भारत का लक्ष्य यही होता तो 60 वर्ष में 543 सांसद देश का नक्शा बदल सकते थे।

नव स्वतंत्र भारत के नेताओं ने भारत स्वतंत्र हुआ है, यह मानकर अपनी नीतियों को निर्धारित नहीं किया। हम भारत को वस्तुस्थिति समझा ही नहीं पाये। भारत 6 लाख से अधिक गांवों में बसता है। इसकी अनुभूति ही नहीं की। हमने उन्हें उजाड़कर बड़ी-बड़ी योजनाएं काम में लाते गये। योजना आयोग ने प्रारंभ से ही यह धारणा बनाई कि सरकार को ही देश का नव निर्माण करना है। उसमें देश के आम नागरिकों का कोई सहयोग आवश्यक नहीं है। जब तक नव स्वतंत्र देश के हर नागरिक को यह अनुभूति नहीं होगी कि हम स्वतंत्र बने हैं, हमें स्वाधीन बनाना है। स्वाधीन बनने का अर्थ है स्वावलंबी जीवन को सर्वाधिक महत्व देना। इस मर्म को हमारे नेताओं ने साठ सात की आजादी में ध्यान में ही नहीं लाया। परिणामस्वरूप आज देश के करोड़ों लोग बेकार और गरीब हैं। वह आत्महत्याएं करने के लिए विवश हैं। यह साठ सात के आजादी की उपलब्धि है। कारण हमने देश के नागरिकों को स्वावलंबी बनाने का पाठ पढ़ाया ही नहीं। सभी को सरकार का मुखापेक्षी बनाया गया है।

पार्लियामेन्ट में 543 चुने हुए सांसद है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों की संख्या हजारों में है। इन्हें अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को स्वावलंबी बनाने का अभियान चलाना चाहिए। लोकसभा में ३४१ सांसद ग्रामीण क्षेत्र से आते है। 138 क्षेत्र ऐसे है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। केवल 84 क्षेत्र ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र मानें जा सकते है। 459 लोग गांवों से आते हैं। ये लोग यदि अपने क्षेत्र के नागरिकों को स्वावलंबी बनाने का अभियान चलाते तो 60 सात में भारत का कोई व्यक्ति बेकार या गरीब नहीं रहता। किन्तु देश की हर पार्टी सबको नौकरी और सबको खुशहाली प्रदान करने की बात कर रही है। कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को स्वावलंबी बनाने का पाठ नहीं पढ़ाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी सबको स्वावलंबी बनाने का काम कभी भी नहीं कर पायेगी।

योजना आयोग विकास की दर 10 फीसदी भी करेगी तो आम लोगों का कोई लाभ नहीं होगा। केवल धनी अधिक धनी बनते जायेंगे। यहीं सिलसिला स्वतंत्र भारत के अन्दर हो रहा है। हिन्दुस्तान के कुछ लोग संसार के सबसे अधिक श्रीमन्त की सूचि में दर्ज हो गये है और दूसरी ओर हजारों लोग आत्महत्या करने पर तुले हुए है। सभी पार्टियां इन ऐसे बातों की पार्टी पर चल रहे हैं। शुरु

देश की हर पार्टी सबको नौकरी और खुशहाली प्रदान करने की बात कर रही है। कोई भी पार्टी लोगों को स्वावलंबी बनाने का पाठ नहीं पढ़ाती है।